भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4816
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आव्रजन पर कार्रवाई का मुद्दा

4816. **श्री सचिदान्नद आर.**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने आव्रजन पर कार्रवाई करने और एच-1बी वीजा को सीमित करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए कोई मंत्री स्तरीय वार्ता की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ख) आवाजाही और प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच समय-समय पर चर्चा की जाती है, जिसमें आवश्यकतानुसार मंत्री स्तर पर की जाने वाली चर्चा भी शामिल है। सरकार अल्पकालिक पर्यटन और व्यावसायिक यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ छात्रों और पेशेवरों की वैध आवाजाही को सुव्यवस्थित करने पर भी ध्यान दे रही है। द्विपक्षीय चर्चाओं में अवैध आव्रजन और मानव तस्करी पर भी चर्चा की जाती है, जिसमें बुरे लोगों, आपराधिक सुविधाकर्ताओं और अवैध आव्रजन नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वाशिंगटन डी.सी. की हालिया यात्रा के दौरान, दोनों पक्षकारों ने विश्व के एक वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकसित होने पर जोर दिया तथा दोनों देशों के बीच सुरक्षित और पारस्परिक रूप से लाभकारी आवाजाही कार्यढांचे को सुविधाजनक बनाने का आह्वान किया।

*****